अति महत्वपूर्ण

संख्या 1706/26-3-81-8/79

प्रेषक,

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लखनऊ, दिनांक 20 फरवरी, 1982

विषय :--अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को हायर पर्चेज़ पद्धति पर नगरों में दुकान उपलब्ध कराना।

महोदय,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शा0 सं0 190/26-3-80-8/79, दिनांक 28 मार्च, 1980 में शासन ने यह योजना स्वीकृत की थी कि स्वायत्त शासन विभाग की योजना के अन्तर्गत जो नगरपालिकायें तथा नगरमहापालिकायें दुकानें बनाकर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को हायर पर्चेज पद्धति पर देंगी उनके निर्माण मूल्य के बराबर धनराशि उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अथवा संबंधित जनजाति निगम द्वारा बैंक से ऋण लेकर उपलब्ध कराई जायेगी और बैंक ऋण पर ब्याज की अदायगी हेतु शासन द्वारा निगमों को अनुदान दिया जायगा। तदनुसार ब्याज भारवहन करने के लिये शासन द्वारा निगमों को निम्नवत् अनुदान दिया गया है :--

निगम का नाम				1979-80 में (लाख रु0)	1980-81 में (लाख रु0)	1981-82 में (लाख रु0)
1--उ0 प्र0 अनुसूचित जाति निगम	..	..	..	3.50	3.50	3.50
2--तराई जनजाति निगम	..	..	..	0.10	0.10	0.10
3--कुमायूं जनजाति निगम	..	..	..	0.20	0.20	0.10
4--गढ़वाल जनजाति निगम	..	..	..	0.20	0.20	0.10
		योग	..	4.00	4.00	3.80

2--परन्तु शासन की उपरोक्त धनराशि के उपयोग की कोई सूचना नहीं मिली है। इसमें से जो धन 31-3-82 तक उपयोग में नहीं लाना सम्भव होगा वह धन शासन को वापस करना होगा।

3--उपरोक्त योजना को व्यवहारिक और प्रभावी बनाने हेतु शासन ने इसमें इतना आंशिक संशोधन किया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों, नगरमहापालिकाओं और नगरपालिकाओं द्वारा निर्मित दुकानों में जितनी दुकानें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये आरक्षित नियमानुसार होगी वे सब उनके निर्माण मूल्य पर उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा नकद भुगतान देकर खरीद ली जायेंगी और तदुपरान्त निगम द्वारा उनका आवंटन अनुसूचित जातियों/जनजातियों के पात्र अभ्यर्थियों को हायर पर्चेज़ पद्धति पर किया जायगा। इस कार्य में निगम द्वारा लाभ अर्जित नहीं किया जायगा। दुकानों के निर्माण मूल्य का भुगतान हेतु निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया जायगा और आवंटियों से मूल्य का भुगतान उतनी ही किस्तों में प्राप्त किया जायगा जितनी किस्तों में बैंक ऋण की अदायगी होगी। ऋण पर बैंकों को ब्याज शासन द्वारा निगम को दिये गये अनुदान से यथावत दिया जायगा।

4--कृपया उपरोक्त आदेशों का कार्यान्वयन अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें।

5--ये आदेश शासन के आवास, नियोजन एवं वित्त विभागों की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

पृ0 सं0 1706 (1)/26-3-81-8/79

प्रतिलिपि सचिव, उ0 प्र0 शासन, आवास अनुभाग-2 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपनी पत्रावली संख्या 6 (मिस/81) में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा समस्त विकास प्राधिकरणों, नगरमहापलिकाओं एवं नगरपालिकाओं को आवश्यक निर्देश अविलम्ब प्रसारित करने की कृपा करें।

पृ0 सं0 1706 (2)/26-3-81-8/79

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद।

(2) कोषाधिकारी, लखनऊ/नैनीताल/देहरादून।

(3) प्रबंध निदेशक, उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, बी-912, सेक्टर "सी" महानगर, लखनऊ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि0, 54, माल ऐवेन्यू, लखनऊ।

(5) प्रबंध निदेशक, कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि0, नैनीताल।

(6) प्रबंध निदेशक, गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि0, देहरादन।

(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ।

(8) प्रशासक, विकास प्राधिकरण, लखनऊ/आगरा/कानपुर/इलाहाबाद/वाराणसी/गाजियाबाद/मेरठ/बरेली/गोरखपुर/मथुरा/मुरादाबाद।

(9) प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ/कानपुर/आगरा/इलाहाबाद/वाराणसी।

(10) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(11) पर्वतीय विकास अनुभाग-6।

(12) वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-12।

(13) नियोजन अनुभाग-3।

(14) आयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति, उ0 प्र0, वजीर हसन रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,
राम कृष्ण
सचिव।